

दिनांक 16.11.2017 को अपराह्न 4:00 बजे विशेष सचिव-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति, श्रम संसाधन विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न शिकायत निवारण समिति की बैठक की कार्यवाही-

उपस्थिति

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 1. श्री पंकज कुमार पाल | - विशेष सचिव | - अध्यक्ष |
| 2. श्री विवेक कुमार | - संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण | - सदस्य |
| 3. श्री अजीत कुमार सिन्हा | - सहायक निदेशक, नियोजन | - सदस्य |
| 4. श्री कामेश्वर प्रसाद | - उप सचिव | |
| 5. श्री सुरेन्द्र कुमार | - प्रशाखा पदाधिकारी, (श्रम पक्ष) | |
| 6. मो० मुस्तफा मंसूरी | - प्रशाखा पदाधिकारी- 03 (सरकार पक्ष) | |
| 7. श्री देवेश कुमार | - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | |

कार्यवाही

समिति के समक्ष रक्षित मामलों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी उपस्थित पदाधिकारियों/ प्रतिनिधियों द्वारा निम्न रूप से दी गयी :-

सरकार पक्ष (प्रशाखा-1)

सरकार पक्ष में लंबित मामलों के अनुपालन की स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. डॉ० कमलेश्वर नारायण अग्रवाल सेवा निवृत्त, क्षेत्र प्रोचि० पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार	अधिकाल प्रवर कोटि(2.5%) में दिनांक 01.04.1987 से लंबित प्रोन्नति के संबंध में- उप सचिव प्रभारी प्रशाखा-1 के गै०स०प्रे०सं०-179 दिनांक 14.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा० अग्रवाल के प्रवर कोटि प्रोन्नति से सम्बन्धित अभ्यावेदन पर कार्रवाई अन्तिम चरण में है। विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा प्राप्त है। वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु संचिका वित्त विभाग को पृष्ठांकित है। सहमति प्राप्त होने पर मा० मंत्री के अनुमोदन से प्रोन्नति देय है। उपस्थित उप सचिव को निदेश दिया गया कि मामले का शीघ्र निष्पादन कराते हुए समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

प्रशिक्षण पक्ष

प्रशिक्षण पक्ष में लंबित मामलों की अनुपालन स्थिति निम्न है-

आवेदक का नाम	विषय/अद्यतन स्थिति
1. श्री रामानंद सिंह, सेवानिवृत्त मुख्य अनुदेशक, औ० प्र० संस्थान, कटिहार	अंकेक्षण आपत्ति सं०-125/2009-10 के संबंध में- प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-2602 दिनांक-16.11.17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंकेक्षण आपत्ति सं०-125/2009-10 में श्री रामानन्द सिंह, मुख्य अनुदेशक (से०नि०) का मकान किराया भत्ता का अवैध भुगतान की राशि को कटौती की जानी है। मकान किराया भत्ता की राशि जो रू० 1,18,981/- है, जिसकी कटौती की जानी है, उक्त राशि को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान को राशि से कटौती कर शेष का भुगतान किया जा चुका है।


	<p>प्राचार्य, औ0प्र0 संस्थान, कटिहार के पत्रांक-493 दिनांक-20.09.2017 के द्वारा निदेशकीय समीक्षापरान्त अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को हस्तगत करा दिया गया है। परन्तु अब तक महालेखाकार के द्वारा अंतिम निर्णय औ0प्र0 संस्थान, कटिहार को प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण को निदेश दिया गया कि शीघ्र मामले का निष्पादन करवाकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।</p>
<p>2. श्री रामनरेश सिंह एवं अन्य कार्यालय परिचारिगण, प्रशिक्षण पक्ष</p>	<p>शीतकालीन वर्दी की आपूर्ति के संबंध में</p> <p>प्रशिक्षण पक्ष के पत्रांक-2602 दिनांक-16.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का शीतकालीन वर्दी की आपूर्ति कर दी गई है।</p> <p>प्रशिक्षण पक्ष से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में इस मामले को निष्पादित मानते हुए सूची से विलोपित किए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।</p>


कर्मचारी राज्य बीमा योजना


<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ0 एस0 एस0 मुजफ्फरउद्दीन बलखी 2. डॉ0 उषा पाण्डेय 3. डॉ0 सी0 के0 पी0 सिंह 	<p>कर्मचारी राज्य बीमा योजना के आयुष, यूनानी एवं एलोपैथी बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों की नयी नियमावली बनाने के संबंध में।</p> <p>उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली से संबंधित विभागीय संचिका सं0-1/ श्रम वि.ई. 8-80-01/2015 सरकार पक्ष, प्रशाखा-1 को पृष्ठांकित है।</p> <p>उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली-2017 (श्रम संसाधन विभाग) से संबंधित संचिका सरकार पक्ष, प्रशाखा-1 को पृष्ठांकित है।</p> <p>समीक्षा के क्रम में पाया गया कि "आयुष/यूनानी/होमियोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी की नियमावली" तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (एलोपैथिक) संवर्ग नियमावली बनाने का कार्य मूल रूप से निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना का है। सरकार पक्ष में संचिकाएँ केवल अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी गई है। अतः यह मामला निदेशालय चिकित्सा सेवायें में ही लंबित है।</p> <p>उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें को निदेश दिया गया कि दोनों नियमावली को अधिसूचित करवाकर समिति को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।</p>
--	---

सभी पक्षों से प्राप्त प्रतिवेदनों के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि कुछेक मामलों के निष्पादन में विलंब हो रहा है, जिन्हें प्राथमिकता के साथ निष्पादित किये जाने की आवश्यकता है। इस माह में प्रशिक्षण पक्ष के 01 (क्रमांक 02) मामले का निष्पादन हुआ है।

बैठक सधन्यवाद, समाप्त हुई।


(अजीत कुमार सिन्हा)
सहायक निदेशक, नियोजन
सदस्य


(विवेक कुमार)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण
सदस्य


(पंकज कुमार पाल)
विशेष सचिव,
अध्यक्ष


ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2017 श्र0 सं0...3152 पटना, दिनांक...20/11/2017
प्रतिलिपि:- निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण (दो प्रतियों में)/श्रमायुक्त, बिहार/ निदेशक चिकित्सा सेवायें,
कर्म0रा0बीमा योजना/ संयुक्त श्रमायुक्त-01/संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण/सहायक निदेशक, नियोजन को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव सह अध्यक्ष

पटना, दिनांक...20/11/2017


ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2017 श्र0 सं0...3152
प्रतिलिपि:- उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-01/उप निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा
योजना/प्रशाखा पदाधिकारी-01 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम
संसाधन विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव सह अध्यक्ष

पटना, दिनांक...20/11/2017

ज्ञापांक:-3/श्रम विधि (शि0नि0)-01/2017 श्र0 सं0...3152
प्रतिलिपि:- सचिव विधि विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



विशेष सचिव सह अध्यक्ष